

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 325
27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में वृद्धि

325. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आवंटित निधि में वृद्धि करने की कोई योजना/प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास दस वर्ष पहले संसद सदस्य के रूप में पिछली बार संशोधित की गई निधि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को कम से कम 3 करोड़ रुपये आवंटित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ङ) : मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के परामर्श से उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, निधियों की पात्रता में संशोधन के सुझावों सहित हितधारकों से सतत आधार पर नए सुझाव प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है।
